रायट रेवरेण्ड बिशप एस० के० पट्रो और कुछ अन्य

बनाम

बिहार राज्य और कुछ अन्य

(The Rt. Rev. Bishop S. K. Patro and Others

Vs.

The State of Bihar and Others)

(2 अप्रैल, 1969)

(मु० न्या० एम० हिदायतुल्लाह तथा न्या० जे० सी० शाह, वी० रामस्वामी, जी० के० मित्तर और ए० एन० ग्रोवर)

भारत का संविधान, अनुच्छेद 29 और 30—लंदन की मिशनरी सोसाइटी से प्राप्त निधियों की सहायता से ईसाइयों ने 1854 में भागलपुर में एक शिक्षा संस्था स्थापित की—राज्य के शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा यह अपेक्षा किए जाने पर कि वह अपनी प्रबंध समिति का गठन उनके निदेशों के अनुसार करे, संस्था द्वारा अनुच्छेद 30 के फायदे का दावा—क्या संविधान के अंगीकरण के पूर्व स्थापित संस्था को इस अनुच्छेद के फायदे का दावा करने के लिए यह साबित करना होगा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे सदस्यों द्वारा स्थापित की गई थी जो भारत के निवासी या नागरिक थे—(नहीं)—अनुच्छेद 29 और 30 का अन्तर।

बिहार राज्य की सरकार ने बिहार हाई स्कूल्स (कंट्रोल ऐण्ड रेगुलेशन आफ एडमिनिस्ट्रेशन) ऐक्ट (1960 का 13) के अधीन कुछ नियम बनाए। नियम 41 में यह उपबंध था कि वे नियम उन विद्यालयों को लागू नहीं होंगे जो अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित हों, चाहे वे अल्पसंख्यक वर्ग धर्म पर आधारित हों या भाषा पर। भागलपुर में 1854 में स्थापित एक विद्यालय से, जिसका प्रबंध नेशनल क्रिश्चियन काउन्सिल आफ इंडिया करती थी, बिहार सरकार के शिक्षा प्राधिकारियों ने अपेक्षा की कि वह अपनी प्रबंध समिति का गठन उन निदेशों के अनुसार करे जो बिहार सरकार के सचिव के 22 मई, 1967 के आदेश में दिए गए हैं। इस आदेश को उच्च न्यायालय में एक रिट अर्जी द्वारा चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने उस रिट अर्जी को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि यद्यपि संस्था का प्रशासन भारत का ईसाई अल्पसंख्यक वर्ग करता है, किन्तु उसकी स्थापना चर्च मिशनरी सोसाइटी आफ लंदन ने की था और इस प्रकार उसकी स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे सदस्यों द्वारा नहीं की गई जो भारत के निवासी

1969(4) eILR(PAT) SC 1

या भारत के नागरिक थे; अतः वह अनुच्छेद 30 के फायदे का दावा नहीं कर सकती। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं तथा हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अनुच्छेद 32 के अधीन अर्जियां भी फाइल की गईं।

अभिनिर्धारित—(i) अभिलेख में ऐसा पर्याप्त साक्ष्य है जिससे यह प्रकट होता है कि यद्यपि अन्य निकायों से सहायता प्राप्त की गई और इन निकायों में लंदन चर्च मिशनरी सोसाइटी भी थी, किन्तु विद्यालय की स्थापना ईसाई मिशनरियों और भागलपुर के स्थानीय निवासियों ने उस निधि की सहायता से की जिसका एक भाग स्वयं उन्होंने दिया था।

(ii) भारत में बसे ईसाई मिशनरी और भागलपुर के स्थानीय ईसाई निवासी एक अल्पसंख्यक वर्ग थे। यह ठीक है कि अनुच्छेद 30(1) के संरक्षण का, और उस नाते अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण करने के विशेषाधिकार का, दावा करने के लिए सक्षम अल्पसंख्यक वर्ग भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों का अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। वह भारत में निवास न करने वाले विदेशियों को यह अधिकार प्रदान नहीं करता की वे अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाएं स्थापित करें। शिक्षा-संस्थाएं स्थापित करने वाले व्यक्ति भारत के निवासी होने चाहिएं और उन्हें एक भलीभांति परिनिश्चित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। किन्तु यह नहीं कहा गया है कि अनुच्छेद 30 के अधीन गारंटी किए गए अधिकार के संरक्षण का लाभ केवल ऐसी संस्था के बारे में मिल सकता है जो संविधान के पहले स्थापित होने की दशा में उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई हो जो ब्रिटिश भारत में पैदा हुए और वहां के निवासी थे।

अतः यह बात कि स्कूल की स्थापना और उसके विकास में सहायता के लिए निधियां यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त की गई या यह कि संस्था का प्रबंध कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता था जो भारत में नहीं पैदा हुए, अनुच्छेद 30 (1) का संरक्षण देने से इंकार का आधार नहीं है।

(iii) उच्च न्यायालय का यह विनिश्चय भी गलत था कि अनुच्छेद 30(1) के फायदे का दावा करने के लिए उन सब व्यक्तियों को जिन्होंने संस्था की स्थापना की, या उनकी बहुसंख्या को 1854 में 'भारतीय नागरिक' होना चाहिए था। 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता से अलग कोई भारतीय नागरिकता नहीं थी। अतः अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित संस्था के विषय में अनुच्छेद 30 के निर्वचन में इस शर्त का समावेश करने से कि यह भी साबित किया जाना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई जो संविधान के पश्चात् संस्था स्थापित किए जाने की दशा में भारत की नागरिकता का दावा कर सकते थे, अनुच्छेद 30 का संरक्षण इस प्रकार कम हो जाता है जो संविधान के उपबंधों द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

अनुच्छेद 29 के अधीन अधिकारों के संरक्षण का दावा केवल भारत के नागरिकों

1969(4) eILR(PAT) SC 1

द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की गारंटी करता है: यह अनुच्छेद नागरिकता को अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों की अर्हता के रूप में अभिव्यक्ततः निर्दिष्ट नहीं करता।

(iv) उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा दिया गया वह आदेश अविधिमान्य घोषित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा विद्यालय के सचिव से यह अपेक्षा की गई कि वे प्रबंध समिति के गठन के लिए कार्यवाही 22 मई, 1967 के आदेश के अनुसार करें।

केरल शिक्षा विधेयक, 1957,**का मामला** (In Re. Kerala Education Bill, 1957), (1959) एस० सी० आर० 995; **रेवरेण्ड फादर डब्ल्यू० प्रूस्ट और कुछ अन्य** बनाम **बिहार राज्य और कुछ अन्य** (Rev. Father W. Proost and Others *Vs.* The State of Bihar and Others), (1969) 2 एस० सी० आर० 73 : (1969) 1 उम० नि० प० 843; और **रेवरेण्ड सीधजभाई सभाई और कुछ अन्य** बनाम **मुंबई राज्य और एक अन्य** (Rev. Sidhajbhai Sabhai and Others *Vs.* State of Bombay and Another), (1963) 3 एस० सी० आर० 837 लागू किए गए।

सिविल अपीली/आरंभिक अधिकारिता : 1968 **की सिविल अपील सं०** 2346।

1967 में सिविल रिट अधिकारिता मामला सं० 503 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 10 सितम्बर, 1968 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

तथा

1968 की रिट अर्जी सं० 430 और 431

मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन।

अपीलार्थियों की ओर से (1968 की सि० अ० सं० 2346 में)	सर्वश्री एच० सी० सीतलवाद और आर० गोपाल कृष्णन
अर्जीदार की ओर से (1968 की रिट अर्जी संख्या 430 और 431 में)	श्री आर० गोपालकृष्णन
प्रत्यर्थियों की ओर से (1968 की सि० अ० सं० 2346 में)	श्री डी० गोवर्धन
प्रत्यर्थियों की ओर से (1968 की रिट अर्जी सं० 430 और 431 में)	श्री बी० पी० झा

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति जे० सी० शाह ने दिया।

न्यायाधिपति शाह—

भागलपुर में 1854 में चलाया गया एक प्राथमिक विद्यालय आगे चल कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया।

बिहार राज्य के विधानमण्डल ने बिहार हाई स्कूल्स (कंट्रोल ऐण्ड रेगुलेशन आफ एडमिनिस्ट्रेशन) ऐक्ट (1960 का 13) अधिनियमित किया। इसकी धारा 8 ने नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित की। धारा 8 (1) उपबन्ध करती है—

> *"The State Government may, after previous publication and subject to the provisions of articles 29, 30 and 337 of the Constitution of India, make rules not inconsistent with this Act for carrying out the purposes of this Act."

बिहार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन नियम 1964 में बनाए गए। नियम 41 उपबन्ध करता है—

> **"These rules shall not apply to the schools established and administered by the minorities whether based on religion or language."

4 सितम्बर, 1963 के आदेश द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकन्डरी स्कूल के अध्यक्ष के रूप में बिशप परमार का और सचिव रूप में रेवरेंड चैस्ट का निर्वाचन अनुमोदित कर दिया। यह आदेश सरकार के शिक्षा

---

*हिन्दी में यह इस प्रकार हो सकता है—

> "पूर्व प्रकाशन के पश्चात् तथा संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 337 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

> **"ये नियम धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित विद्यालयों को लागू न होंगे।"

विभाग के सचिव ने 22 मई, 1967 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया। 21 जून, 1967 को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, भागलपुर, ने चर्च मिशनरी सोसाइटी स्कूल, भागलपुर, के सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें उनका ध्यान 22 मई, 1967 के आदेश की ओर आकर्षित किया गया और उनसे अनुरोध किया कि विद्यालय की प्रबन्ध समिति का गठन "उस आदेश के अनुसार" करने के लिए कार्यवाही करें।

तब पटना उच्च न्यायालय में 4 अर्जीदारों द्वारा (जो अपील सं० 1968 की 2346 में अपीलार्थी हैं) एक अर्जी फाइल की गई। यह इसलिए थी कि 22 मई, 1967 का आदेश मंसूख किया जाए और प्रत्यर्थियों पर—अर्थात् बिहार राज्य, बिहार राज्य के सचिव, शिक्षा विभाग तथा राज्य के शिक्षा प्राधिकारियों पर—अवरोध लगा दिया जाए कि वे विद्यालय के मामलों का नियन्त्रण, प्रशासन और प्रबन्ध करने के अर्जीदारों के अधिकार में हस्तक्षेप न करें। पटना उच्च न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भागलपुर में प्राथमिक विद्यालय चर्च मिशनरी सोसाइटी आफ लन्दन द्वारा स्थापित किया गया था; वही विद्यालय वर्तमान चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकन्डरी स्कूल के रूप में विकसित हुआ; हाल में विद्यालय का प्रशासन चर्च मिशनरी सोसाइटी आफ दी भागलपुर डायोसीज़ करती थी; और विद्यालय अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित शिक्षा-संस्था न होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त संरक्षण का पात्र नहीं था। अर्जी खारिज करने के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में सिविल अपील सं० 1968 की 2346 फाइल की गई है।

इस न्यायालय में दो अन्य अर्जियां भी फाइल की गई हैं, जिनमें इस आधार पर अनुतोष का दावा किया गया कि बिहार सरकार के 22 मई, 1967 के आदेश से ईसाई अल्पसंख्यक वर्ग के अपनी रुचि की शिक्षा-संस्था के पोषण का अतिलंघन होता है जो अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारन्टी किया गया है। रिट अर्जी सं० 1968 की 430 चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकन्डरी स्कूल, भागलपुर, के प्रधानाचार्य, बिहार क्रिश्चियन काउन्सिल, गया, के सचिव, संथालिया क्रिश्चियन काउन्सिल, भागलपुर, के सचिव तथा नेशनल क्रिश्चियन काउन्सिल आफ इण्डिया, नागपुर, के सचिव द्वारा फाइल की गई है। रिट अर्जी सं० 1968 की 431 रेवरेन्ड एम० पी० हैमब्रम द्वारा फ़ाइल की गई है जो चर्च मिशनरी सोसाइटी, भागलपुर, के पैरिश प्रीस्ट हैं और जिनके दो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये अर्जियां सिविल अपील सं० 1968 की 2346 के साथ सुनी गईं।

साक्ष्य पर विचार करके उच्च न्यायालय ने यह पाया कि चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकन्डरी स्कूल एक सम्प्रदाय की संस्था है, विद्यालय में बाईबिल की कक्षाएं होती हैं तथा ईसामसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं के विषय में पाठ पढ़ाए जाते हैं और इस विषय में सभी छात्रों की परीक्षाएं होती हैं; नित्य प्रातःकाल कक्षाएं प्रारम्भ होने के पहले विहित चर्च पुस्तकों से प्रार्थनाएं छात्रों और स्टाफ के सदस्यों द्वारा पढ़ी जाती हैं और विद्यालय की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक अधिवेशन "सामान्य प्रार्थना पुस्तक" से प्रार्थनाओं के साथ प्रारम्भ और समाप्त होता है। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित

निष्कर्ष की शुद्धता को हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष को भी हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है कि विद्यालय मूलतः वर्ष 1854 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में प्रारम्भ हुआ और तत्पश्चात् वह विकसित हो कर वर्तमान चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकन्डरी स्कूल हो गया।

अवधारण के लिए एक मात्र प्रश्न यह है कि क्या दो रिट अर्जियों के अर्जीदार और अपील सं० 1968 की 2346 के अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 30 के संरक्षण का दावा करने के इस आधार पर हकदार हैं कि भागलपुर का चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकन्डरी स्कूल अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित उसकी रुचि की शिक्षा-संस्था है।

संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में उपबंध है—

"धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"

अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण की गारंटी संविधान के पश्चात् स्थापित शिक्षा संस्थाओं तक सीमित नहीं है; वे संस्थाएं जो धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संविधान के पहले स्थापित की गई हैं और प्रशासित की जाती रहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के संरक्षण के लिए पात्र हैं। **केरल शिक्षा विधेयक,** 1957 **के मामले**[1] में मुख्य न्यायाधिपति दास ने पृष्ठ 1051 पर कहा—

"इस बात का कोई कारण नहीं है कि अनुच्छेद 30(1) का फायदा केवल उन शिक्षा-संस्थाओं तक सीमित रखा जाए जो संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् स्थापित की गई हैं। अनुच्छेद 30 (1) में प्रयुक्त भाषा इतनी व्यापक है कि संविधान के पूर्व की और संविधान के पश्चात् की, दोनों संस्थाएं उसके अन्तर्गत आ जाएंगी। इस बात की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यक वर्गों को दो अधिकार देता है, अर्थात् अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं को, (क) स्थापित करने का और (ख) उनका प्रशासन करने का। यह भी स्पष्ट है कि द्वितीय अधिकार के अन्तर्गत संविधान के पूर्व के विद्यालय उसी प्रकार आ जाते हैं जिस प्रकार अनुच्छेद 26 में संविधान के पूर्व की धार्मिक संस्थाओं के पोषण का अधिकार आ जाता है।"

राज्य का तथा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अर्जी में मध्यक्षेप करने वाले पक्षकारों का कथन यह था कि विद्यालय की स्थापना चर्च मिशनरी सोसाइटी, लंदन, द्वारा

---

(1) (1959) एस० सी० आर० 995.

1969(4) eILR(PAT) SC 1

की गई जो उनके अनुसार एक निगम थी, जिसका अधिवास विदेशी था और ऐसी सोसाइटी संविधान के अनुच्छेद 30 के अर्थ में धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है। इस न्यायालय में फाइल की गई अपील में अपीलार्थियों की ओर से और दो रिट अर्जियों में अर्जीदारों की ओर से यह दावा किया गया है कि विद्यालय 1854 में भागलपुर के स्थानीय ईसाई निवासियों द्वारा प्रारम्भ किया गया। वे यह मानते हैं कि विद्यालय की स्थापना में चर्च मिशनरी सोसाइटी आफ लंदन ने वित्तीय सहायता दी। किन्तु उनका तर्क यह है कि इस कारण से विद्यालय का भारत में के धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित शिक्षा-संस्था होना समाप्त नहीं हो गया।

भागलपुर में निम्नतर प्राथमिक विद्यालय की 1854 में स्थापना का महत्वपूर्ण साक्ष्य अभिलेख में है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उच्च न्यायालय में साक्ष्य के इस भाग की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। भागलपुर की चर्च मिशनरी एसोसिएशन की "अभिलेख पुस्तक" रिट अर्जी सं० 1968 की 430 का उपाबंध 'ध' है। यह बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करती है, जिसका विद्यालय की स्थापना से संबंध है। इसमें उन पत्रों की प्रतियां हैं जो भागलपुर से लिखे गए तथा भागलपुर की स्थानीय परिषद् द्वारा किए गए अधिवेशनों के कार्यवृत्त और उनके द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियां भी हैं। 1 जून, 1848 को रेवरेण्ड वॉ ने चर्च मिशनरी सोसाइटी की कलकत्ता कारसपांडिंग कमेटी को एक पत्र द्वारा सूचित किया कि यदि कलकत्ता की सोसाइटी चम्पानगर में एक विद्यालय की स्थापना करे तो 1000 या 1200 रुपये तक वार्षिक की स्थानीय सहायता प्राप्य होगी और यह विद्यालय के भवन और शिक्षक के निवास-स्थान के अतिरिक्त होगा। उसमें यह भी लिखा गया कि प्रारंभिक कार्य और स्कूल को चलाने के लिए एक कुशल और अनुभवी मिशनरी की आवश्यकता हो सकती है। 26 जून, 1848 को रेवेरेण्ड वॉ ने एक दूसरे पत्र द्वारा कलकत्ता कारसपांडिंग कमेटी को सूचित किया कि 22 जून, 1848 को चर्च में विशेष सेवा की गई और तत्पश्चात् शुक्रवार, 23 जून, 1848 को एक सभा की गई और उपस्थित व्यक्तियों से चन्दे की मांग की गई; इन व्यक्तियों में भारतीय निवासी भी थे, और शिक्षकों के वेतन तथा अन्य व्ययों के लिए 202 रुपये के मासिक चन्दे के वचन दिए गए तथा विद्यालय और शिक्षक का निवास-स्थान बनाने के लिए 1647 रुपये की रकम दान की गई। साधारण प्रभाव इस कार्य के लिए इतना अनुकूल पड़ा कि वे कलकत्ता कमेटी को इस बात का आश्वासन देना उचित समझते हैं कि स्थानीय कमेटी प्रारंभिक कार्य की कुछ अपेक्षाओं की—जैसे विद्यालय शिक्षक और शिक्षिका के वेतन के संदाय और उनके निवास के लिए गृह के निर्माण की—गारंटी देने की स्थिति में है। यह निवास-स्थान आगे चलकर बढ़ाया जा सकता है, जिससे मिशन के लिए उपयुक्त निवास-स्थान हो जाए।

10 जुलाई, 1848 के पत्र द्वारा कलकत्ता कारसपांडिंग कमेटी के सचिव ने रेवरेण्ड वॉ को सूचित किया कि वे मिशन प्रारंभ करने के सामान्य ढंग के रूप में एक विद्यालय की स्थापना करके मिशनरी कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी उच्च कोटि के व्यक्ति की तलाश में हैं। भागलपुर से लिखे गए 22 दिसम्बर, 1848 के पत्र में यह कहा गया—

"सोसाइटी मिशनरी के वेतन की व्यवस्था करेगी और यह विश्वास है कि स्थानीय निधियां उसके लिए उपयुक्त प्रकार के निवास-स्थान की व्यवस्था कर देंगी। मिशन की अन्य आवश्यकताओं की—जैसे विद्यालय, शिक्षक आदि की—व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाने के लिए छोड़ दी जानी चाहिए।"

फिर पेरेंट कमेटी द्वारा 24 अक्तूबर, 1849 के अधिवेशन में पारित संकल्पों के और लोकल कमेटी के 25 अक्तूबर, 1851 के एक अन्य संकल्प के कार्यवृत्त हैं। ये संकल्प धन एकत्र करने और मिशन के उद्देश्यों की वृद्धि के लिए संवितरणों का अवधारण मिशनरी की सलाह से करने के लिए हैं। 25 अक्तूबर, 1851 के अधिवेशन के कार्यवृत्त में यह लिखा है कि 30 सितम्बर, 1851 तक की प्राप्तियों और संवितरणों का लेखा-विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें लड़कों के विद्यालय का व्यय, शिक्षकों का वेतन, विद्यालय के कमरों और फर्नीचर का भाड़ा और एक बालिका विद्यालय का व्यय और कार्य-सामग्री का अद्यतन व्यय सम्मिलित था।

कमेटी के कोषपाल के 10 मई, 1852 के पत्र में लिखा गया—

"चर्च मिशनरी सोसाइटी ने इस केन्द्र के लिए मिशनरी भेजने की सहमति जिन शर्तों पर दी उनमें से एक यह थी कि उसके लिए उपयुक्त निवास-स्थान की व्यवस्था स्थानीय निधियों द्वारा की जानी चाहिए। क्योंकि यह शर्त अनिवार्य रूप में सामने आई, अतः एक मिशन हाउस बनाने के प्रयोजनार्थ चन्दा एकत्र किया गया; x x x x

इस उद्देश्य से मेरी प्रस्थापना यह है कि जैसे ही 11,000 रुपए से अधिक की रकम हाथ में हो जाए वह धनराशि आपके कोषपाल के रूप में मेरे द्वारा चर्च मिशनरी सोसाइटी की कलकत्ता कारसपांडिंग कमेटी को अन्तरित कर दी जाए और वे उसे भागलपुर मिशन फण्ड के रूप में न्यास के तौर पर रखें। इस धनराशि का ब्याज वर्तमान मिशन परिसरों का किराया, अर्थात् 45 रुपए मासिक, देने के लिए पर्याप्त से भी अधिक होगा; और तदनुसार x x

हमारी स्थानीय निधि का सम्पूर्ण शेष और भावी वसूलियां तब विद्यालयों, अनाथालय, इत्यादि के पोषण में लगाई जा सकती हैं और तब हम इस बात के लिए अधिक समर्थ होंगे कि स्वयं अपने साधनों से अपने व्यय का विनियमन करें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने प्रयत्नों में वृद्धि करें।"

लोकल कमेटी के 22 मार्च, 1853 के अधिवेशन में यह संकल्प किया गया कि कमेटी श्री ड्रोज द्वारा बंगला बनाने में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त करती है और कोषपाल को प्राधिकृत कर दिया जाए कि वे आरक्षित निधि में से श्री ड्रोज को निर्माण पूरा करने के लिए अपेक्षित 3,500 रुपए की राशि और दे दें।

1969(4) eILR(PAT) SC 1

लोकल कमेटी के 23 अगस्त, 1856 के अधिवेशन में यह अभिलिखित किया गया कि 21 बीघा भूमि के क्षेत्र पर, जिसका स्थायी पट्टा 26 नवम्बर, 1853 को प्राप्त किया गया था, एसोसियेशन ने मिशनरी का बंगला और कार्यालय, भारतीय ईसाइयों के लिए मकान और एक अनाथालय बनवाया। 17 अक्तूबर, 1856 के अधिवेशन में यह संकल्प किया गया कि कमेटी श्री ब्राउन को हार्दिक धन्यवाद देती है कि उन्होंने प्रारम्भ से ही मिशन में, और विशिष्टतः सोसाइटी को मिशन की वह सम्पत्ति सौंपने में, जिसका अधिकांश भाग उन्होंने स्वयं अपने परिश्रम से प्राप्त किया था, अनुग्रह, सक्रियता और उदारता के साथ रुचि ली।

इस पत्र-व्यवहार और इन संकल्पों तथा अधिवेशनों में हुई चर्चाओं से प्रकट होता है कि स्थानीय ईसाइयों द्वारा अर्जित सम्पत्ति पर और उनके द्वारा एकत्र की गई निधि से बनाए गए भवनों में लड़कों का एक विद्यालय स्थायी रूप से बनाया गया। वह संस्था और वह भूमि जिस पर वह बनाए गए और स्थानीय निधि का अतिशेष 1856 में चर्च मिशनरी सोसाइटी के हवाले कर दिया गया। यह भी ठीक है कि चर्च मिशनरी सोसाइटी, लंदन, से पर्याप्त सहायता प्राप्त की गई थी। किन्तु उसी कारण से यह नहीं कहा जा सकता कि स्कूल स्थानीय ईसाइयों द्वारा स्थापित नहीं किया गया और वह अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित शिक्षा-संस्था नहीं है।

चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकेण्डरी स्कूल अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा प्रशासित शिक्षा संस्था है—उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष है और अब उस पर कोई विवाद नहीं है।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1854 में प्रारम्भ किया गया प्राथमिक विद्यालय चर्च मिशनरी सोसाइटी, लंदन, द्वारा प्रारम्भ किया गया था और वह सोसाइटी भारत की नागरिक नहीं कही जा सकती और किसी भी दशा में उस सोसाइटी को गठित करने वाले व्यक्ति विदेशी थे और इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकेण्डरी स्कूल अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित शिक्षा-संस्था है। इन विषयों का विस्तार बढ़ा कर विलम्ब करना अनावश्यक है। हमारे निर्णयानुसार यह निष्कर्ष साक्ष्य को देखते हुए ठीक नहीं है कि विद्यालय भागलपुर के स्थानीय ईसाइयों द्वारा स्थापित न किया जा कर चर्च मिशनरी सोसाइटी, लंदन, द्वारा स्थापित किया गया। अभिलेख-पुस्तक से लिए गए उद्धरण स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि भागलपुर के स्थानीय निवासियों ने स्कूल की स्थापना और उसके पोषण में प्रमुख भाग लिया। इसमें संदेह नहीं कि चर्च मिशनरी सोसाइटी, लंदन, सहित अन्य निकायों से भी सहायता प्राप्त की गई। किन्तु विद्यालय ईसाई मिशनरियों और भागलपुर के स्थानीय निवासियों ने उन निधियों की सहायता से स्थापित किया जिनका एक भाग स्वयं उन्होंने दिया था।

इस बात की जांच करना अनावश्यक है कि क्या वे सब व्यक्ति जिन्होंने 1854 में विद्यालय की स्थापना में भाग लिया "भारतीय नागरिक" थे। संविधान के अधिनियमन के पहले भारतीय नागरिकता की कोई निश्चित विचारधारा नहीं थी, और यह नहीं कहा

जा सकता कि भारत में बसे ईसाई मिशनरी और भागलपुर के ईसाई निवासी एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं थे। यह ठीक है कि अनुच्छेद 30(1) के संरक्षण का और उस नाते अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण करने के विशेषाधिकार का दावा करने के लिए सक्षम अल्पसंख्यक वर्ग भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों का अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। वह भारत में निवास न करने वाले विदेशियों को यह अधिकार प्रदान नहीं करता कि वे अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करें। शिक्षा-संस्थाएं स्थापित करने वाले व्यक्ति भारत के निवासी होने चाहिएं और उन्हें भलीभांति परिनिश्चित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। किन्तु यह नहीं कहा गया है कि अनुच्छेद 30 के अधीन गारंटी किए गए अधिकारों के संरक्षण का लाभ केवल ऐसी संस्था के बारे में मिल सकता है जो संविधान के पहले स्थापित होने की दशा में उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई हो जो ब्रिटिश भारत में पैदा हुए और वहां के निवासी थे।

संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में प्रयुक्त शब्दावली के अन्तर को ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत के राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 (1) के अधीन है और खण्ड (2) यह गारंटी करता है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 29 के अधीन अधिकारों के संरक्षण का दावा केवल भारतीय नागरिक द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की गारंटी करता है: यह अनुच्छेद नागरिकता को अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों की अर्हता के रूप में अभिव्यक्ततः निर्दिष्ट नहीं करता। **रेवरेण्ड फादर डब्ल्यू० प्रूस्ट और कुछ अन्य** बनाम **बिहार राज्य और कुछ अन्य**(2) में इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया—

> "हमारी राय में अनुच्छेद 29(1) के आधारभूत विचारों को अनुच्छेद 30(1) में प्रविष्ट करा कर उस धारा का विस्तार कम नहीं किया जा सकता। पश्चात्वर्ती अनुच्छेद एक सामान्य संरक्षण है जो अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने के लिए दिया गया है। x x x x
>
> दोनों अनुच्छेदों से दो पृथक् अधिकार सर्जित होते हैं यद्यपि यह सम्भव है कि किसी मामले में दोनों मिल जाएं।"

फिर **रेवरेण्ड सीधजभाई सभाई और कुछ अन्य** बनाम **मुम्बई राज्य और कुछ अन्य** (3) के निर्णय का निर्देश करते हुए न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि—

---

(2) (1969) 2 एस० सी० आर० 73; (1969) 1 उम० नि० प० 843 (854)।
(3) (1963) 3 एस० सी० आर० 837।

1969(4) eILR(PAT) SC 1

"हमारे मतानुसार अनुच्छेद 30(1) की भाषा व्यापक है और उसका असंकुचित अर्थ लगाया जाना चाहिए। हम अल्पसंख्यकों के संरक्षण के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, अतः उस संरक्षण को कम करने के प्रयत्नों को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। हमें उस संरक्षण की वृद्धि करना आवश्यक नहीं है किन्तु हम ऐसे संरक्षण को जो स्वभावतः ही शब्दों से ज्ञात होता हो, कम नहीं कर सकते। इस संदर्भ में संरक्षण शब्दों से स्पष्ट रूप से उद्गत होता है और ऐसी कोई बात नहीं है जिस के आधार पर अनुच्छेद 29(1) की सहायता ली जा सके।"

यह बात कि स्कूल की स्थापना और उसके विकास में सहायता के लिए निधियां युनाईटेड किंगडम से प्राप्त की गई या यह कि संस्था का प्रबन्ध कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता था जो भारत में नहीं पैदा हुए, अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण देने से इन्कार का आधार नहीं है।

हम उच्च न्यायालय से इस बात में भी सहमत होने में असमर्थ हैं कि चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकन्डरी स्कूल की बाबत अनुच्छेद 30 (1) के अधीन संरक्षण का दावा किए जाने के पहले यह साबित किया जाना अपेक्षित था कि वे सब व्यक्ति जिन्होंने संस्था की स्थापना की या उनकी बहुसंख्या 1854 में "भारतीय नागरिक" थी। 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता से अलग कोई नागरिकता नहीं थी। अतः अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित संस्था के विषय में अनुच्छेद 30 के निर्वचन में इस शर्त का समावेश करने से, कि यह भी साबित किया जाना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई जो संविधान के पश्चात् स्थापित की जाने की दशा में भारत की नागरिकता का दावा कर सकते थे, अनुच्छेद 30 का संरक्षण इस प्रकार कम हो जाता है जो संविधान के उपबंधों द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा दिया गया वह आदेश अविधिमान्य घोषित किया जाता है जिसके द्वारा चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकन्डरी स्कूल के सचिव से यह अपेक्षा की गई कि वे प्रबन्ध समिति के गठन के लिए कार्रवाई 22 मई, 1967 के आदेश के अनुसार करें।

अपील मंजूर की जाती है और रिट अर्जियों में दिया गया न्यादेश अन्तिम किया जाता है। रिट अर्जियों में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता। यह प्रकट होता है कि उस रिट अर्जी में, जिससे 1968 की अपील सं० 2346 उद्भूत हुई है, उच्च न्यायालय के समक्ष सब अपेक्षित सामग्री स्पष्ट रूप से नहीं रखी गई, अतः हम निदेश देते हैं कि अपील में पक्षकार अपना आद्योपान्त खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

अपील और रिट अर्जियां मंजूर कर ली गईं।

मो०